



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

पौष 09, सोमवार, शाके 1946- दिसम्बर 30, 2024
Pausa 09, Monday, Saka 1946- December 30, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (गुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2024

संख्या प. 9(21)राज-1/2024-(10) :-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 9(18)राज-1/2022-(15) दिनांक 05.08.2023 से सम्भाग जयपुर एवं बीकानेर में से नवीन सम्भाग सीकर, सम्भाग जोधपुर में से नवीन सम्भाग पाली एवं सम्भाग उदयपुर में से नवीन सम्भाग बांसवाड़ा का सृजन किया गया था।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 9(18)राज-1/2022-(15) दिनांक 05.08.2023 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नवगठित सम्भाग बांसवाड़ा, सीकर एवं पाली को निरस्त किया जाकर इनमें सम्मिलित जिलों को यथावत मूल सम्भागों में सम्मिलित किया जाता है।

सम्भागों के पुनर्गठन पश्चात् 07 संभागों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा :-

क्र.सं.	नाम संभाग	क्र.सं.	नाम जिला
1	अजमेर	1	अजमेर
		2	भीलवाड़ा
		3	ब्यावर
		4	डीडवाना-कुचामन
		5	नागौर
		6	टोंक
2	बीकानेर	1	बीकानेर
		2	चूरू
		3	हनुमानगढ़
		4	श्रीगंगानगर
3	भरतपुर	1	भरतपुर
		2	डीग

		3	धौलपुर
		4	करौली
		5	सवाई माधोपुर
4	जयपुर	1	जयपुर
		2	अलवर
		3	दौसा
		4	कोटपूतली-बहरोड़
		5	खैरथल-तिजारा
		6	झुंझुनूं
		7	सीकर
5	जोधपुर	1	जोधपुर
		2	बाड़मेर
		3	बालोतरा
		4	जैसलमेर
		5	जालोर
		6	पाली
		7	फलौदी
		8	सिरोही
6	कोटा	1	कोटा
		2	बारां
		3	बून्दी
		4	झालावाड़
7	उदयपुर	1	उदयपुर
		2	बांसवाड़ा
		3	चित्तौड़गढ़
		4	डूंगरपुर
		5	प्रतापगढ़
		6	राजसमन्द
		7	सलूमबर

दिनेश कुमार,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।